-73-

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

संविदा के आधार पर आई.टी. प्रबंधक की सेवा प्राप्त करने हेतु पैनल निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचना।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन संचालित सूचना एवं प्रावैधिकी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण में सहायता के उद्देश्य से आई0टी0 प्रबंधक के पैनल निर्माण हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

इसकी संक्षिप्त विवरणी निम्नवत है:–

1. **शैक्षणिक योग्यता:–** B.Tech.(Computer Science / IT)/ B.E.(Computer Science / IT) / MCA from any Government recognized University / Institute approved by AICTE.
2. आयु सीमा :–

Age	UR (General)	SC	ST	EBC	BC	Female (UR)
Minimum	21	21	21	21	21	21
Maximum	37	42	42	40	40	40

अभ्यार्थियों के उम्र सीमा की गणना दिनांक–**01.08.2017** के आधार पर की जायेगी। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छुट देय होगी। इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता का अद्यतन प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

3. **मानदेय:–** IT Manager को प्रतिमाह कुल ₹ 40000/– की एक मुश्त राशि दी जायेगी। इसके अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगी। भुगतान पर वैधानिक आयकर की कटौती की जाएगी।
4. **नियोजन अवधि** :– संविदा अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार तथा कार्य संतुष्टि के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकेगा।
5. **चयन का आधार** :– चयन का आधार 2015/2016/2017 (जो अधिकतम स्कोर हो) का Gate Score (Computer Science and Information Technology), होगा। चयन आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप होगा।
6. **आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया:–** आवेदन मिशन के वेबसाईट ***www.bpsm.bih.nic.in*** पर उपलब्ध है, जिसे ***Online*** भरा जाना है। आवेदक को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना अद्यतन फोटो एवं वांछित कागजात अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र में वर्णित सभी कागजातों/दस्तावेजों की मूल प्रति काउन्सेलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
7. ***Online*** **आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक–01.08.2017 से प्रारम्भ होगी एवं इसकी अंतिम तिथि–16.08.2017 के अपराह्न 11:59 बजे तक निर्धारित है।**
8. एक अभ्यर्थी अधिकतम एक ही आवेदन दे सकते हैं। एक से अधिक आवेदन देने पर उनके दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. मिशन सोसाइटी को अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द कर दे।

मिशन निदेशक
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)